रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-238/2023/493/22-2-2023-17(463)/2021

लखनऊ:दिनांक: 23 मई, 2023

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार, आजमगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी शेषनाथ पाण्डेय (बन्दी संख्या-15/20) पुत्र श्री शिवदत्त पाण्डेय, निवासी बाबू की खजुरी, थाना-मेहनगर, जनपद-आजमगढ़, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-194/1985 में भा0द0वि0 की धारा-302, 307 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, षष्टम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, आजमगढ़ के आदेश दिनांक 28.07.1986 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 24.10.2019 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 07.07.2020 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया, द्वारा दिनांक 19.01.2023 तक 03 वर्ष, 03 दिन की अपरिहार सजा तथा 03 वर्ष, 06 माह, 18 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा जेल आचरण अच्छा है, की शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-238/2023/493(1)/22-2-2023 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़।
3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, आजमगढ़।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।